छत्तीसगढ़ शासन
श्रम विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

//अधिसूचना//

नया रायपुर, दिनांक–21.3.2016

कमांक. एफ 10–11/2015/16 :– कारखाना अधिनियम, 1948 (1948 का 63) की धारा 112 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ कारखाना नियम 1962 में निम्नलिखित और संशोधित करती है, अर्थात् :–

संशोधन

उक्त नियमों में ,–

नियम 5 में अंक एवं शब्द " 5 वर्ष" के स्थान पर अंक एवं शब्द " 10 वर्ष" प्रतिस्थापित किया जाये ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(याकुब खेस्स)
उप सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग

GOVERNMENT OF CHHATISGARH
LABOUR DEPARTMENT
MANTRALAYA, MAHANADI BHAVAN, NAYA RAIPUR

//NOTIFICATION//

Naya Raipur, Dated-21/3/2016

No. F 10-11/2015/16 - In exercise of the powers conferred by Section 112 of the Factories Act, 1948 (No. 63 of 1948) the State Government, hereby, makes the following further amendment in the Chhattisgarh Factories Rules, 1962, namely:-

AMENDMENT

In the said rules,-

In Rule 5, for the figure and word "5 year", the figures and word "10 year" shall be substituted.

By order and in the name of the
Governor of Chhattisgarh,

21/3/16

(Yacub Xess)
Dy. Secretary
Government of Chhattisgarh
Labour Department

"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 384] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 16 जुलाई 2015— आषाढ 25, शक 1937

श्रम विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 10 जुलाई 2015

अधिसूचना

क्रमांक एफ 10-11/2015/16. — कारखाना अधिनियम, 1948 (1948 का 63) की धारा 112 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ कारखाना नियम, 1962 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त नियमों में, -

नियम 5 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :-

"5. अनुज्ञप्ति मंजूर करने वाले प्राधिकारी तथा अनुज्ञप्ति की अवधि :- अनुज्ञप्ति मंजूर करने, उसका नवीनीकरण करने, संशोधन करने या अंतरण करने तथा उसकी दूसरी प्रति जारी करने वाला प्राधिकारी मुख्य निरीक्षक होगा तथा उक्त अधिनियम के अधीन कारखाना की अनुज्ञप्ति, कारखाना अधिभोगी के आवेदन के साथ यथा विहित वार्षिक शुल्क जमा करने पर, एक या अधिक वर्ष की अवधि के लिये जारी/नवीनीकृत की जा सकेगी किन्तु उक्त अवधि एक बार में 5 वर्ष से अधिक नहीं होगी :

परन्तु यह कि मुख्य निरीक्षक या राज्य शासन अनुज्ञप्ति जारी रहने की कालावधि के दौरान नियम 6 के उप-नियम (2) के परन्तुक में या नियम 7 के उप-नियम (2) के खण्ड (ख) में विनिर्दिष्ट किये गये आधारों पर अनुज्ञप्तिधारक को इसके बारे में कारण बताने का अवसर देने के पश्चात् कि क्यों न उसकी अनुज्ञप्ति निलंबित कर दी जाये और निलंबन के कारणों को लिखित में अभिलिखित करके तथा अनुज्ञप्तिधारक को उसकी सूचना देकर अनुज्ञप्ति को निलंबित कर सकेगा."

No. F 10-11/2015/16 — In exercise of the powers conferred by Section 112 of the Factories Act, 1948 (63 of 1948), the State Government, hereby, makes the following further amendment in the Chhattisgarh Factories Rules, 1962, namely :-

AMENDMENT

In the said rules, -

For rule 5, the following shall be substituted, namely :-

"5. **Authority to grant license and its tenure :-** The authority to grant, renew, amend or transfer a license and to issue a duplicate copy thereof shall be the Chief Inspector and License of the Factories under the said Act, may be issued/renewed for the term of one year or more, on the submission of application of Factory occupant alongwith yearly fees as may be prescribed but said term shall not exceed 5 year at a time :

Provided that the Chief Inspector or the State Government may suspend the license during its tenure and on any of the ground specified in the proviso to sub-rule (2) of the Rule 7 after giving the licensee an opportunity to show-cause as why his license should not be suspended and recording the reasons in writing and communicating the same to the said licensee."

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
याकुब खेस्स, उप-सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2015